प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **21-05-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना कटघर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अवगत करना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं मादक पदार्थ की बिक्री/ तस्करी की रोकथाम तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21-05-2025 को थाना कटघर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ सुमित जैन पुत्र स्व0 धर्मचन्द जैन निवासी दौलारी थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को एक कार में 13 पेटी टेट्रा पैक देशी शराब मसाला कुल मात्रा 585 पव्वे टेट्रा (117 लीटर) के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर मु0अ0सं0 - 290/2025 धारा 60(1)/72 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क / आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

विक्की उर्फ सुमित जैन पुत्र स्व0 धर्मचन्द जैन निवासी दौलारी थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 - 290/2025 धारा 60(1)/72 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क / आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

a) आबकारी निरीक्षक श्री अरूण कुमार सेक्टर 4 मुरादाबाद
b) उ0नि0 सोमपाल सिंह थाना कटघर मुरादाबाद
c) का0 ललित थाना कटघर मुरादाबाद
d) का0 अनुज कुमार थाना कटघर मुरादाबाद
e) आबकारी आरक्षी इमरान उल हक सेक्टर 4 मुरादाबाद

2-नाबालिग के साथ कुकर्म करने के बाल अपचारी को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 18-05-2025 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-195/2025, धारा- 351(3) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 21-05-2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-195/2025, धारा- 351(3), 115(2) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट
अभिरक्षा में लेने वाली टीमः- उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह, हे0का0 कुलदीप

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 31 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 31 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कटघर-01, थाना गलशहीद-02, थाना सिविल लाईन्स-02, थाना मझोला-01, थाना पाकबड़ा-03, थाना मूंढापाण्डे-02, थाना कांठ-04, थाना छजलैट-05, थाना ठाकुरद्वारा-07, थाना मैनाठेर-03, थाना कुन्दरकी-01